तुकाराम और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य

(क्रिमीनल अपील संख्या 482/2008)

13 मार्च, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जेजे.]

दंड संहिता, 1860 - धारा 304 (II):

के तहत दोषसिद्धि - संबंधित साक्ष्य के आधार पर- तर्क संगत - अभिनिधार्रितः - संबंध/रिश्तेदार, गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक अथवा तत्व नही है- यदि गलत/झूठी संलिप्तता की दलील हो तो आधार स्थापित करना होगा- ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा-साक्ष्य-संबंधित गवाह-का निर्वचन।

अपीलार्थी संख्या 1 को अन्तर्गत धारा 304 (II), भादंसं के अंतर्गत की गयी दोषसिद्धि को इस आधार पर इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी है कि वह पी.डब्ल्यू-1, 2 व 5 संबंधित गवाह की साक्ष्य पर आधारित थी।

अपील खारिज, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित -

1.1 यह मत कि पी.डब्ल्यू-1, 2 व 5 मृतक से संबंधित थे, वास्तव में कोई महत्व नही रखता है। संबंध गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक/तत्व नहीं है। यह बहुदा/अक्सर होता है कि कोई संबंध वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ दोषारोपण करेगा। यदि झूठी संलिप्तता का अभिवाक लिया जाता है तो उसका आधार स्थापित करना होगा। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि वह ठोस/प्रभावी हो व विश्वसनीय हो। कोई गवाह नजदीकी रिश्तेदार होने के परिणामस्वरूप एक पक्षपाती गवाह होने का आधार पर भरोसे के लायक नही होने का तथ्य कोई सार नही रखता है। [पैरा 7, 8] [39-डी, ई; 40-सी]

1.2 इस प्रकरण में पी.डब्ल्यू 6 व 10 स्वतंत्र गवाह और यह दर्शित नहीं किया गया है कि वह अपीलार्थियों के खिलाफ झूठा बयान क्यों देंगे। पत्रावली पर अभिलिखित साक्ष्य स्पष्ट तौर पर स्थापित करती है कि अपीलार्थी को सही तौर पर दोषी ठहराया गया है। [पैरा 15] [41-डी, ई]

दलीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, एआइर्आर (1953) एससी 364; गुली चंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (1974) 3 एससीसी 698; वेदीवेलू थेवर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास एआईआर (1957) एससी 614; मसालती और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी एआईआर (1965) एससी 202; स्टेट

ऑफ पंजाब बनाम जागीर सिंह एआईआर 1973 एससी 2407; लेहना बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2002) 3 एससीसी 76; गंगाधर बहेरा और अन्य बनाम स्टेट ऑफ उडीसा (2002) 8 एससीसी 381; बाबूलाल भगवान खंडेलवाल और अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2005) 10 एससीसी 404 और सलीम शाहिब बनाम स्टेट ऑफ एमपी (2007) 1 एससीसी 699- भरोसा किया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार-आपराधिक अपील संख्या 482/2008।

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलौर की आपराधिक अपील संख्या 482/2001 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03-01-07 से।

शंकर दिवेती अपीलार्थी की तरफ से।

अनीता श्नौय रेस्पोडेंट की तरफ से।

न्यायालय द्वारा निर्णय डॉ. अर्जित पसायत, जे. के द्वारा प्रसारित किया गया-

1. अनुमति दी गयी।

2. कर्नाटक हाई कोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को आरोप अंतर्गत धारा 304 (II), भादंसं (1860) (संक्षेप में आईपीसी) में दोष सिद्घ किये जाने व पांच वर्ष के कारावास अधिरोपित किये जाने के

आदेश को पुष्ट किये जाने के विरूद्घ अपीलार्थीगण द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष अपील की गयी है।

3. जैसा कि पूर्व में बताया गया है विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्घि को पुष्ट किया गया परन्तु सजा को कम कर दिया।

4. अपील के समर्थन में अपीलार्थीगण के विद्वान काउंसिल का अभिकथन रहा है कि मूल रूप से 6 अभियुक्तगण रहे थे, ए3 को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया वहीं अपीलार्थी तुकाराम को धारा 304 (II), भादंसं के तहत दोषसिद्घ माना गया। हालांकि विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सात साल के आरावास को कम करके पांच वर्ष कर दिया गया।

5. आगे अभिकथन रहा है कि पी.डब्ल्यू-1, 2 व 5 की साक्ष्य स्वीकार नही की जानी चाहिये क्योंकि वे मृतक से संबंधित रहे हैं।

6. विद्वान काउंसिल प्रत्यर्थी राज्य सरकार की ओर से अभिकथन रहा कि एक संबंधी की साक्ष्य को स्वीकार किये जाने में कोई कानूनी बाधा नही है। एक संबंधी आम तौर पर उस व्यक्ति की रक्षा नही करता जो दोषी हो और वास्तविक हमलावर को बचाये।

7. जहाँ तक अपीलार्थी का प्रश्न है विचारण न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा साक्ष्य का विस्तार से पूर्ण विश्लेषण किया गया है तथा इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी अपराध का कर्ताधर्ता है। यह

कहा जाना/तर्क दिया जाना कि पी.ड. 1, 2 व 5 मृतक से संबंधित थे, कोई प्रभाव नही रखता है।

8. किसी गवाह का संबंधी होना उसकी साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नही होता है। यह बहुदा/ अक्सर होता है कि कोई संबंध वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ दोषारोपण करेगा। यदि झूठी संलिप्तता का अभिवाक लिया जाता है तो उसका आधार स्थापित करना होगा। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और यह पता लगाने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण करना होगा कि वह ठोस/प्रभावी हो व विश्वसनीय हो।

9. दिलीप सिहं और अन्य बनाम पंजाब राज्य (एआईआर 1953 एससी 364) में यह सुस्थापित किया गया है कि,

> "एक साक्षी को सामान्य तौर पर स्वतंत्र गवाह के तौर पर ही माना जाना चाहिये जब तक कि वह दूषित/भ्रष्ट स्त्रोतों का परिणाम ना हो या उससे उत्पन्न ना हुआ हो एवं इसका सामान्य तौर पर अर्थ् है कि जब तक कि गवाह के पास अभियुक्त के विरूद्घ दुश्मनी का कोई कारण ना हो या उसे झूठा फंसाने की इच्छा सामान्य तौर पर एक नजदीकी संबंधी असल अपराधी को बचाकर एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। यह सही है कि जब

भावनायें प्रबल होती हैं और शत्रुता का व्यक्तिगत कारण हो तब निर्दोष व्यक्ति को संलिप्त करने की प्रवृत्ति होती है जिसके विरूद्घ गवाह दुर्भावना के साथ द्वेष् रखता हो, परन्तु इस आधार की समीक्षा की जानी चाहिये एवं रिश्तेदारी का तथ्य इस आधार से दूर, अक्सर सच्चाई की एक निश्चित गारंटी होता है। हालांकि हम व्यापक सामानीकरण का प्रयास नही कर रहे हैं। प्रत्येक प्रकरण को उसके तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चहिये। हमारा विश्लेषण केवल मात्र यह बताने का उददेश्य है कि हमारे सामने प्रकरणों में सामान्य विवेक के तौर पर अक्सर रखा जाता है। इसका कोई सामान्य नियम नही है। प्रत्येक केस उस केस के तथ्यों तक की सीमित होना चाहिये एवं उसी के ही अधीन रहना चाहिये।"

10. उपरोक्त निर्णय गुलीचंद व अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1974 (3) एससीसी 698) में अनुकरण किया गया था। जिसमें वेदीवैलू थेवर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास (एआइर्आर 1957 एससी 614) पर भी अभिनिधार्रित था।

11. हम यह भी देख सकते हैं कि गवाह का एक करीबी रिश्तेदार होना और इसके परिणामस्वरूप उसका पक्षपाती होना, जिस पर भरोसा नहीं

किया जाना चाहिए, उसका कोई सार नहीं है। यह सिद्धांत दिलीप सिंह के मामले में इस अदालत द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया था। जिसमें इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था जो बार के सदस्यों के मन में अधिभावी/प्रबल छाप की संबंधी स्वतंत्र गवाह नही होते हैं। विवियन बोस, जे. यह देखा गयाः

> "हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही के लिए पुष्टि की आवश्यकता होती है। अगर इस तरह की समीक्षा इस आधार पर निर्धारित हो कि गवाह महिला है एवं सात लोगों का भाग्य उसकी गवाही पर निर्धारित करता है हम ऐसे किसी नियम के बारे में नही जानते हैं। यदि इस कारण पर आधारित है कि वे मृतक के निकटतम संबंधी थे तो हम सहमत होने में असमर्थ हैं। यह आपराधिक मामलों में सामान्य भ्रंति/तर्क दोष है और इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने दूर करने का प्रयास किया है। - 'रामेश्वर बनाम राज. राज्य (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 54 पृ. 59 पर) ' हालांकि हम यह पाते हैं कि यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि यह अभी भी न्यायालयों में कायम है,

यदि न्यायालय के निर्णयों में नहीं है, तो काउंसिल के तर्कों में बना हुआ है।"

12. मसालती व अन्य बनाम यू.पी. राज्य (एआईआर 1965 एससी 202) में इस न्यायालय ने पुनः समीक्षा की कि: (पी. 209-210 पैरा 14):

"लेकिन हमें लगता है कि यह तर्क देना अनुचित होगा कि गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य को केवल इस आधार पर ही खारिज कर दिया जाये कि वह हितबद्घ साक्षी या पक्षपातपूर्ण साक्षी की गवाही है। पक्षपातपूर्ण गवाही के आधार पर यांत्रिक तौर पर ऐसी साक्ष्य को नकार दिया जाना न्याय की विफलता की ओर अग्रसर करेगा। इस बात का कोई निश्चित नियम निर्धारित नही किया गया है कि साक्ष्य का निर्वचन कितना किया जाना चाहिये। ऐसी साक्ष्य के साथ निपटने में न्यायिक दृष्टिकोण सावधानीपूर्वक अपनाया जाना चाहिये, लेकिन यह तर्क कि ऐसी साक्ष्य पक्षपातपूर्ण होने के आधार पर खारिज होने योग्य है, यह तर्क पूरी तौर पर स्वीकार नही किया जा सकता है।"

13. पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह (एआईआर 1973 एससी 2407), लेहना बनाम हरियाणा राज्य (2002 (3) एससीसी 76) और

गंगाधर बेहरा और अन्य बनाम राज्य उड़ीसा (2002 (8) एससीसी 381) में भी इसी प्रभाव का निर्णय लिया गया है।

14. उपरोक्त परिस्थिति बाबूलाल भगवान खंडारे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2005 (10) एससीसी 404] और सलीम साहब बनाम एम.पी. राज्य (2007 (1) एससीसी 699) में भी उद्घरित की गयी थी।

15. पीडब्लू 6 व 10 स्वतंत्र गवाह थे तथा यह दर्शित नही किया गया है कि वे अपीलार्थियों के विरुद्ध झूठी गवाही क्यों देंगे। प्रकरण में अभिलिखित साक्ष्य स्पष्ट तौर पर सुस्थापित करती है कि अपीलार्थीगण सही तौर पर दोषी ठहराये गया है।

16. अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक नीतु भारद्वाज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।